



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017 (ASVINA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2017

संख्या 98/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, की संतुष्टि हो गई है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(i) सारणी में,-

- (क) क्रम संख्या 5 में, खाना (3) में, "सरकारी प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या 9ख और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ग	अध्याय 99	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय निकाय ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी संस्था द्वारा की जाने वाली सेवा की आपूर्ति।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ग) क्रम संख्या 21 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21क	शीर्ष 9965 या शीर्ष 9967	किसी माल परिवहन एजेंसी द्वारा किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति, जिसमें गैर पंजीकृत नैमित्तिक कर-योग्य व्यक्ति भी आते हैं, और निम्नलिखित व्यक्तियों से भिन्न हों, के द्वारा प्रदान की गयी सेवाएं, अर्थात्:- (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के अंतर्गत पंजीकृत या उसके द्वारा अधिशाषित कोई कारखाना; या (ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अंतर्गत या तत्समय भारत के किसी भाग में प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सोसाइटी; (ग) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई सरकारी सोसाइटी; या (घ) किसी कानून के द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई कोरपोरेट बॉडी; या (ङ) कोई भी पार्टनरशिप फर्म चाहे वह किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो या नहीं, इसमें व्यक्तियों के संघ भी आते हैं; (च) कोई भी नैमित्तिक कर-योग्य जो केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) या एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) या राज्य माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) या संघ राज्य क्षेत्र और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 14) में पंजीकृत हो।";	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(घ) क्रम संख्या 23 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"23क	शीर्ष 9967	किसी वार्षिक वृत्ति के भुगतान के एवज में किसी सड़क या किसी पुल तक पहुंच प्रदान करने वाली सेवा।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ङ) क्रम संख्या 41 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"औद्योगिक भू-खण्ड या ऐसे भू-खण्ड जो वित्तीय व्यापार की अव-संरचनाओं के विकास के लिए हों तथा (क) किसी औद्योगिक इकाई या (ख) औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र के किसी डेवलपर को, तथा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम/प्रतिष्ठान या ऐसी किसी संस्था द्वारा दीर्घ कालीन अवधि (तीन वर्ष या इससे अधिक) के लिए पट्टे पर दिये गए हों जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, का स्वामित्व पचास प्रतिशत या इससे अधिक हों, तो ऐसी सेवा के बारे में भुगतान किए जाने वाली अग्रिम (upfront) राशि, (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, विकास खर्च या ऑय किसी भी नाम से जाना जाता हो)";

(ii) पैरा 2 में, खंड (यच) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(यच) "सरकारी प्राधिकरण" से अभिप्राय है, किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय जिसका गठन,-

(i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या

(ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अंतर्गत नगर निगम को या संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अंतर्गत किसी पंचायत को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।

(यचक) "सरकारी निकाय" से अभिप्राय है, किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय (जिसमें सोसाइटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं) जिसका गठन,—

- (i) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम; या
- (ii) किसी सरकार द्वारा,

किया गया हो और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो, और जिसका काम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना है।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 13th October, 2017

No. 98/ST-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification number 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification number 47/ST-2, dated the 30th June, 2017,

(i) in the Table, -

- (a) in serial number 5, in column (3), for the words "governmental authority" the words "Central Government, State Government, Union territory, local authority or Governmental Authority" shall be substituted;
- (b) after serial number 9B and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9C	Chapter 99	Supply of service by a Government Entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority, in the form of grants.	Nil	Nil";

- (c) after serial number 21 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21A	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency to an unregistered person, including an unregistered casual taxable person, other than the following recipients, namely: -	Nil	Nil";